किया है और हमारे माननीय सदस्य श्री एस० एस० अहलुवालिया जी ने ...**(व्यवधान)**

उपसभाध्यक्ष (श्री सतीश अग्रवाल): इसका विरोध नहीं किया।

श्रीमती वीणा वर्मा: इसका विरोध नहीं किया। मैं स्वयं आन रिकार्ड कहना चाहती हूं कि उन्होंने यह कहा कि मूल भावना का मैं समर्थन करता हूं लेकिन बिल विदड्रा कर लेना चाहिए। यह मेरी समझ में नहीं आया जबकि उन्होंने मूल भावना का समर्थन किया है।

उपसभाध्यक्ष (श्री सतीश अगरवाल): मारग्रेट आल्वाजी ने विदड्रावल की बात आज कही है, उन्होंने एडवांस में कह दी।

श्रीमती वीणा वर्मा: ऐसा ही लगता है। खैर।

मैं शुक्रगुजार हूं हमारे माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री सिंधियाजी का जिन्होंने यहां पर महिलाओं ने जो मांगा या माननीय सदस्यों ने सदन के द्वारा महिलाओं के लिए जो मांगा उससे ज्यादा उन्होंने आश्वासन दिया। इसके लिए मैं उनकी शुक्रगुजार हूं। हमारी संसदीय मंत्री मारग्रेट आल्वा जी की भी शुक्रगुजार हूं। उन्होंने स्वयं कहा कि यहां पर 17 आश्वासन समिति में पेंडिंग हैं और उन पर विचार किया जा रहा है। मैं यह कहना चाहूंगी कि जल्दी से जल्दी उन पर विचार करके कोई एक कार्यवाही सुनिश्चित की जानी चाहिए तथा मैं फिर यह अपील करूंगी कि जो भी महिलाओं के लिए हम इस सदन के द्वारा मांग करते हैं उन पर बहुत जरूर ध्यान दिया जाए। हमारी सभी मूल भावनाएं अच्छी होती हैं। हर कोई इसका समर्थक है कि महिलाओं को आगे आना चाहिए, उनको बराबरी का दर्जा देना चाहिए, उन पर अत्याचार रुकना चाहिए और उनको सामाजिक तथा आर्थिक रूप से सक्षम होना चाहिए। उनको सुरक्षा की गारंटी दी जानी चाहिए। लेकिन हमारी मानसिकता अभी कहीं कम रह जाती है। मूल भावना का सब समर्थन करते हैं लेकिन यह भी सही है कि राष्ट्रीय महिला नीति पर कई बार चर्चा हो चुकी है और एक ड्राफ्ट प्लान भी बना था और उस कमेटी में मीटिंग भी हुई थी जिसमें कम से कम 50-60 एन०जी०ओज़ ने भाग लिया था।

उसमें मैं भी उपस्थित थी। वहां पर भी कंसेंसस यही निकल कर आया था कि सरकारी नौकरियों में किसी हद तक आरक्षण दिया जाना चाहिए और राष्ट्रीय महिला नीति बहुत जल्दी ही हमारे मानव संसाधन विकास मंत्री जी तय करने जा रहे हैं, मैं चाहती हूं कि राष्ट्रीय महिला नीति में इस पर विचार किया जाए कि महिलाओं को अपनी योग्यता, अपनी क्षमता दिखाने के लिए सरकारी नौकरियों में कम से कम 30 प्रतिशत का आरक्षण अवश्य देने की नीति पर नीतिगत विचार किया जाए और नीति में आए। मैं आन् रेकार्ड बताना चाहती हूं उपसभाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कि मैंने इसी आशय का एक पत्र मैंने प्रधान मंत्री जी को भी लिखा है जिसमें हमारे माननीय राज्य सभा और लोक सभा के 50 सांसदों के हस्ताक्षर हैं इसके समर्थन में तो उस पर भी विचार किया जाए। मैं यहां मानव संसाधन विकास मंत्रालय से पेंशन व कार्मिक मंत्रालय से भी अपील करूंगी और इसकी भी मैं शुक्रगुजार हूं कि मूल भावना का आदर इस सदन में महिलाओं के लिए किया जाता है।

अतः इन सब आश्वासनों के बावजूद कि हम महिलाओं को हर तरह से आरक्षण, सुरक्षा व स्टेटस देने की कोशिश में है और जल्दी किया जाए एक आश्वासन अवश्य मैं लेना चाहूंगी इस सदन के द्वारा महिलाओं के लिए कि जो भी महिलाओं का कार्य हो उस पर कार्यवाही हो, चाहे वह कानूनी हो या सामाजिक सुरक्षा हो या आर्थिक सुरक्षा हो, उसके आश्वासन के चलते मैं अपना बिल वापस लेना चाहती हूं। मुझे परमिशन दी जाए।

The Bill was, by leave, withdrawn.

THE INDECENT REPRESENTATION OF WOMEN (PROHIBITION) AMENDMENT BILL, 1995

कुमारी सरोज खापर्डे (महाराष्ट्र): महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि:

"स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किए जाए"

मान्यवर, हमारे इस देश में एक समय ऐसा था जब कहा जाता था कि,

"यत्र नारीस्तु पूजयन्ते रमयन्ते तत्र देवता"

यानी जहां नारी की पूजा की जाती है वहां देवता निवास करते हैं। यानी नारी का इतना आदर था कि देवों के समकक्ष माना जाता था। वह माता, बहन एवं अर्द्धांगिनी के रूप में आदरणीय थी। आज भी भारतीय नारी हमारे समाज की आधारशिला समझी जाती है। उसी से धर्म, सभ्यता, संस्कृति, परंपराएं तथा भविष्य टिके हुए हमें नज़र आते है। समाज का सौंदर्य, समृद्धि और शौष्ठव उसी के कारण स्थिर भी है। अतः भारतीय समाज

में नारी का स्थान आज भी पावन समझा जाता है। परन्तु गुणमयी सृष्टि में अवगुणों की कोई कमी नहीं है। फूलों के साथ कांटे भी होते हैं, कीड़े भी होते हैं। अतः जहां एक ओर नारी का पावन स्थान है। उसे भोग की वस्तु बना डाला है तथा गृह लक्ष्मी से कोठे की वेश्या भी बना डाला है। महोदय, यदि स्थिति केवल बनाने या बिगाड़ने तक ही सीमित रहती तो एक बात थी, लेकिन आज उस का भरपूर प्रचार किया जा रहा है। नारी को एक भोग की वस्तु के रूप में प्रचारित और प्रस्तुत किया जा रहा है। आप अधिकतर पत्र-पत्रिकाएं उठाकर देखिए, उन में नारी की कामुक तथा उत्तेजक, नग्न एवं अर्ध-नग्न चित्रों के विस्तृत रूप दिखाए जाते हैं। इन में कुछ पत्रिकाएं तो मात्र नारी देह को चित्रित कर अपना भरपूर कारोबार बनाए हुए हैं। ऐसी पत्रिकाओं का बाजार भी बहुत विस्तृत और बड़ा है क्योंकि लोग अपनी काम-पिपासा को शांत करने के लिए इन पत्रिकाओं को अधिक-से-अधिक दाम देकर खरीदते हैं। इन ग्राहकों में बूढ़े, वयस्क तथा छोटी उम्र के छात्र-छात्राएं भी नजर आते हैं जोकि इन पत्रिकाओं के भड़काऊ चित्रों को देखकर तथा उस में वर्णित अश्लील बातों को पढ़कर अपना भविष्य चौपट करते हैं। इन पत्रिकाओं के प्रकाशक वास्तव में सोना बटोर रहे हैं। साथ ही इन पत्रिकाओं के लिए भड़काऊ चित्र एकत्र कर जघन्य अपराध भी किए जा रहे हैं। मान्यवर कुछ मामलों में भोली-भाली स्त्रियों तथा लड़कियों को बहला-फुसलाकर, उन्हें फिल्मों में हीरोइन बनाने का झांसा देकर तथा अनेक मामलों में नशे की दवा देकर इन के नग्न चित्र खीचें जाते हैं और बाद में उन चित्रों के माध्यम से उन्हें ब्लैकमेल भी किया जाता है। यह चक्र चलता रहता है। अभी हाल ही में ऐसे अनेक मामले प्रकाश में आए है, परंतु पैसों की चकाचौंध सब कुछ समाप्त कर देती है। महोदय, वैसे तो इन अश्लील पत्रिकाओं और साहित्य को कानून नहीं बेचा जा सकता तथा न ही इन को प्रकाशित किया जा सकता है, परंतु समाज का यह कोढ़ पैसे के बल पर निर्विघ्न पलता है और ऐसा अश्लील साहित्य गली-गली व कूचे-कूचे उपलब्ध है। महोदय, दिखावे के लिए हम कभी-कभी छापे भी मारते हैं, परंतु कोई नतीजा नहीं निकलता है। मान्यवर, जहां इस के लिए एक ओर अश्लील साहित्य के प्रकाशक दोषी हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ महिलाएं भी कम दोषी नहीं हैं। अधिक-से-अधिक पैसा कमाने की अंधी दौड़ में शामिल होने तथा शारीरिक सुख के लिए कुछ आधुनिक नारियों ने नग्नता का चोला पहन लिया है तथा वह बेहिचक शरीर का प्रदर्शन करने लगी है। कुछ फिल्मी तारिकाएं तो अपने नग्न चित्र फिल्मी पत्रिकाओं के मूलपृष्ठ पर भी छपवा रही हैं।

यानि नग्नता की होड़ लगी हुई है और कानून की धज्जियां हमारी आंखों के सामने उड़ाई जा रही हैं। आधुनिकता के नाम पर समाज में जहर फैलाया जा रहा है। नग्नता की दौड़ में शामिल लोगों का तरीका यह है कि वह अपने शरीर को जैसे मर्जी रखें। यह उनका व्यक्तिगत मामला है। परन्तु, मान्यवर, व्यक्तिगत मामला अपने तक, अपने घर तक रखा जाना चाहिए और जब वह सार्वजनिक हो जाए तो व्यक्तिगत कहां रहता है। वह तो एक सामाजिक बुराई बन जाता है।

मान्यवर, कुछ अपवादों में नारी मजबूरन नग्नता अपनाने को विवश होती है, परन्तु ऐसी बात नहीं है कि मुसीबत का बुकाबला या मुसीबत का सामना करने के लिए शरीर का सार्वजनिक प्रदर्शन करे, समाज में जहर फैलाकर किया जाए। अतः मेरा इस विधेयक के द्वारा यह प्रस्ताव है कि ऐसी नारियों के विरुद्ध भी कठोर कार्यवाही होनी आवश्यक है और होनी भी चाहिए, जो नग्नता का जहर समाज में फैला रही हैं। इसके साथ ही ऐसे लोगों को भी नहीं बख्शा जाना चाहिए, जो नारियों के भड़काऊ चित्र खींचते हैं। मैंने ऐसा प्रस्ताव अपने इस निजी विधेयक में रखा हुआ है।

मान्यवर, नारी देह को चित्रित कर नारी का सम्मान कम करने के लए हमारे सिनेमा, टेलीविजन सीरियल आदि भी कुछ कम नहीं है। आज नग्नता, मारधाड़, हिंसा, द्विअर्थी संवाद, बलात्कार एक फिल्म की सफलता के लिए आवश्यक समझे जाते हैं। इससे भारतीय नारी की गरिमा को आघात पहुंचता है। हालांकि साफ-सुथरी फिल्म अधिक सफल होती है, परन्तु नग्नता दिखाने के लिए बनी मानसिकता का क्या करें। हमारे सेंसरबोर्ड की भी अपनी लिमिटेशन हैं और वह आंख मूंदकर उनको पास कर देता है। इस तरह वह भी समाज को दूषित करने में अपनी भूमिका निभाता है।

महोदय, आज टेलीविजन घर घर में है। इनमें दिखाए जाने वाले सीरियलों, विज्ञापनों में नारी का जो चित्रण होता है वह परिवार के साथ बैठकर देखने लायक नहीं होता। केबल टी.वी. आने के बाद तो स्थिति और भी कुछ भयानक और चिंताजनक हो गई है। नग्नता आदि सीमा लांघ चुकी है। कुछ चैनल तो ब्ल्यू फिल्मों का प्रसारण भी धड़ल्ले से कर रहे हैं। इन सभी चैनलों में नारी जिस रूप में पेश की जाती

है, नारी को जिस रूप में दिखाया जाता है उससे हमारा सिर वाकई शर्म से झुक जाता है और उस समय यह लगता है कि हम भारतीय नहीं रहे हैं।

महोदय, हमें यह मानना होगा कि पिछले कुछ वर्षों में हमारे समाज की मान्यताओं, मूल्यों, विविध आवश्यकताओं, समस्याओं और विचारधाराओं में उल्लेखनीय परिवर्तन हुए हैं, परन्तु टी.वी. के माध्यम से जो नारी का नंगापन हमें परोसा जा रहा है, उसको पचा पाना अत्यन्त दुष्कर है।

महोदय, अब मैं सदन का ध्यान अश्लील पोस्टरों की ओर आकर्षित करना चाहूंगी। आप देश के किसी कोने में चले जाइए, खासकर शहरों में, आप जगह जगह पर भड़काऊ पोस्टर देखेंगे, जिनमें नारी के भड़काऊ चित्रों के साथ अश्लील नाम भी होंगे, जैसे जलती जवानी, प्यासी जवानी, आदि आदि। ऐसे पोस्टर दीवालों में, बड़े बड़े होर्डिंगों में लगाए जाते हैं, जिनसे न केवल लोगों की वासना भड़कती है बल्कि अनेक बार सड़कों पर भयंकर दुर्घटनाएं इसके कारण घटती भी हैं। अभी कुछ वर्षों पूर्व दिल्ली में स्कूली छात्रों ने ऐसे पोस्टरों पर काला पेंट फेरकर अपना विरोध जताया था, परन्तु नतीजा "वही ढाक के तीन पात", ऐसे पोस्टर आज भी गलियों में लगते हैं तथा नारी को भोग की वस्तु के रूप में चित्रित करते हैं। महोदय, स्त्री के अशिष्ट रूपण से यदि केवल मानसिकता रूग्ण होती तो एक बात होती, परन्तु इसके भयंकर परिणाम आज समाज में दिखाई दे रहे हैं। ये अश्लील, पत्रिकाएं, फिल्में, सीरियल्स, पोस्टर्स, गाने, संवाद, हमारे युवा मानस को विकृत कर रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप देश मे स्त्रियों और लड़कियों के साथ छेड़-छाड़, अपहरण, बलात्कार और ऐसे जघन्य अपराध "सुरसा" के मुंह के समान बढ़ते जा रहे हैं तथा समाज को विषाक्त कर रहे हैं जिससे आज आम नारी अपने आपको असुरक्षित महसूस कर रही है। आज मासूम बच्चियों तक को अपनी काम-पिपासा का शिकार बनाया जा रहा है। कुछ मामलों में तो वे अपने घर तक में आज अपने आपको असुरक्षित महसूस कर रही हैं। आज वे घर से कोठे तक ही नहीं, बल्कि तंदूर तक पहुंचाई जा रही हैं।

महोदय, 80 के दशक में कुछ ऐसी ही स्थिति देश में थी, जिसको रोकने के लिए आदरणीय राजीव गांधी जी ने अशिष्ट स्त्री रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986 बनवाया था तथा नारी जाति को बदनामी से उभारने हेतु प्रयास किया था। आज 9 वर्षों के बाद हम देखते हैं कि उक्त अधिनियम में कुछ कमियां थीं, जिन्हें मैं अपने इस विधेयक द्वारा पूर्ण करने का प्रयास कर रही हूं और मेरा प्रयास कहां तक सफल होगा, इसका निर्णय तो इस महान सदन के सदस्य ही करेंगे।

अंत में, महोदय, मैं कहना चाहूंगी कि नारी शरीर का प्रचार कर पैसा कमाने तथा समाज के चरित्र को डुबोने वाले तत्वों को सख्ती से कुचलना अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा हमारा देश रसातल में चला जाएगा। यही मेरा इस विधेयक को प्रस्तुत करने का एकमात्र उद्देश्य है। अतः मैं इस विधेयक को सदन के समक्ष विचार के लिए रखती हूं और सदन में इस विषय पर मेरे अन्य साथियों द्वारा अपने विचारों को रखने के बाद अपने उत्तर में मुझे जो कुछ कहना होगा, इसके अलावा, मैं अपने उत्तर में उन विचारों को प्रस्तुत करना चाहूंगी। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत-बहुत धन्यवाद।

The question was proposed.

उपाध्यक्ष (श्री सतीश अग्रवाल): आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद सरोज जी, बहुत अच्छा प्रस्तुतीकरण किया आपने अपने विषय का।

श्री संघ प्रिय गौतम (उत्तर प्रदेश): उपसभाध्यक्ष जी, आदरणीया सरोज खापर्डे जी ने अपने विधेयक के उद्देश्यों में उन सभी भावनाओं को सन्निहित किया, जिनका उल्लेख उन्होंने अपने भाषण में किया, लेकिन उनके विधेयक में कई कमियां रह गई हैं और वास्तव में जिस भावना से उन्होंने विधेयक को प्रस्तुत किया है और अपना वक्तव्य दिया है, अगर वे बहुत गंभीर हैं तो उन्हें उन कमियों की ओर गंभीरता से देखना होगा। इससे पहले कि मैं इस विषय पर चर्चा करूं, मैं कुछ संशोधन प्रस्तुत कर रहा हूं।

एक तो, जहां उन्होंने सेक्शन-3ए में यह कहा है कि:

> "No person shall publish or cause to be published any book, magazine, periodical or poster containing nude, semi-nude and vulgar photographs of woman of any age or postures of any woman which are indecent and vulgar, and postures of a woman in the company of a man in indecent manner which may corrupt or injure public morality or morals."

इसमें मैं इतना जोड़ना चाहता हूं कि करए से पहले:

> "which may excite the feelings of males".

SHRI VAYALAR RAVI: What is the amendment?

SHRI SANGH PRIYA GAUTAM: I have mentioned the amendment:

"excite the feelings of males".

It will read:

"...which may excite the feelings of males, corrupt or injure public morality or morals."

तो इसमें यह संशोधन कर दिया जाए और बाकी ज्यों का त्यों रहने दिया जाए।

SHRI VAYALAR RAVI: Why do you limit it to females? Why not both the sexes?

SHRI SANGH PRIYA GAUTAM: No, because it relates to women.

सैक्शन-3बी में जो आपने लिखा है इसको आप सैक्शन-3बी 1 रखें और इसमें पैरा-2 और 3 और जोड़ें, जो 3सी और 3बी के बीच में हो।

सेकेंड पैरा हो:

"No woman shall perform any act, gesture or demonstration of body in films, dramas or dances which may excite the feelings of males."

चूंकि आपने अपने भाषण में इन बातों का उल्लेख किया है। तीसरे, इसके साथ ही:

"No such songs shall be made or sung which attract the attention of the males towards excitement."

अभी एक कमेटी में मैं बम्बई गया था। वहां मैंने एक गाना सुना:

"मैं आइसक्रीम खा रही थी, नयना लड़ा रही थी, लड़का पटा रही थी, तेरे मिरची लगी तो मैं क्या करूं।"

क्या यह वल्गर नहीं है? क्या यह इनडिसेंट सांग नहीं है? तो इसलिए इसमें यह भी जोड़ा जाना चाहिए कि न तो कोई इस तरह का गाना बनाया जाएगा और न कोई इस तरह का गाना गाया जाएगा। तो यह मैं तीन संशोधन प्रस्तुत कर रहा हूं। फिर मैं अपनी चर्चा प्रारम्भ करता हूं।

उपसभाध्यक्ष (श्री सतीश अग्रवाल): पर ऐसे गानों को तो सेंसर बोर्ड भी बंद कर सकता है।

श्री संघ प्रिय गौतम: मैं कहता हूं सेंसर बोर्ड तो इनके हाथ में है। तो यह शिकायत किससे कर रहे हैं?

उपसभाध्यक्ष (श्री सतीश अग्रवाल): नहीं, इनके और उनका सवाल नहीं है।

श्री संघ प्रिय गौतम: सताते भी हैं मुसावातिर और
रोने भी नहीं देते,
यही बस इनकी मंशा है कि
मैं घुट-घुट कर मर जाऊं।"

टेलीविजन इनका, सेंसर बोर्ड इनका। हमारी सरकार आएगी तो देखेंगे एक भी बना जाए कोई।....**(व्यवधान)**

उपसभाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कुमारी सरोज खापर्डे जी के विधेयक का समर्थन कर रहा हूं। लेकिन मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। कुछ विरोधाभाषी बातें महिलाओं के बारे में हमारे देश में अनादिकाल से रही हैं। यद्यपि भारत संस्कृतिक दृष्टि से इस संसार का बहुत प्राचीन देश है और संस्कृति में महिलाओं का सम्मान भी संस्कृति का एक अंग रहा है। हमारे यहां महिलाओं की पूजा आज भी होती है। बगैर महिला संगीत के शादी पूरी नहीं होती। कितना ही बड़ा कार्यक्रम हो, नेता, प्रधान मंत्री जाएं, बगैर आरती के कार्यक्रम प्रारम्भ नहीं होता। स्वागत भी महिलाओं के बगैर अधूरा रहता है। महिलाओं के लिए रेलवे में आरक्षित बोगी है। महिलाओं के लिए बस में आरक्षित सीटें हैं और महिलाओं के लिए हम ने पंचायतों में और स्थानीय निकायों में आरक्षण दिया है। महिलाओं का साम्मान हम बहुत करते चले आए हैं। लेकिन महिलाओं का यह जो अश्लील रूपण है, यह भी हम करते आए हैं। मैं आपको दो उदाहरण दे रहा हूं। उड़ीसा में एक मंदिर है—कोर्णाक मंदिर। वहां भारत के सब लोग जाते हैं। हमारे भी हाइनैक होकर खजुराहो गए थे। इनके अंदर जो मूर्तिया बनी हुई है, क्या देखी हैं आप लोगों ने? इसमें जो मूर्तियां बनी हुई हैं क्या देखी है आप लोगों ने? क्या ये नग्न मूर्तियां नहीं है? क्या यह अश्लील रूपण नहीं है—आप अगर इसको देखिए, तो वे विरोधाभासी विचार हमारे देश में रहे हैं। सरदारजी, हम मूल बात कहते हैं। कई बार हमने आपसे कहा है। बनावटी नहीं कहते हैं और यह सत्य है।

श्री एस॰एस॰ अहलुवालिया: आपने कोणार्क मन्दिर का सवाल उठाया। कोणार्क मन्दिर आप जरा ध्यान से देखें, यह सूर्य का मन्दिर है और जो चीजें आप देखकर

आए हैं, आप अपने दिमाग को पाल्यूट करके मत देखें। दिमाग को खोलकर वहां जाइए। वह हमारी संस्कृति और सभ्यता को पूरी तरह दर्शाता है। इसको भी जरा देखिए।

श्री संघ प्रिय गौतम: दिमाग बाद में काम करता है सरदारजी, पहले आंखें देखती हैं हर चीज को ...(व्यवधान) आपने भी उस दिन कहा था जो चीज आंखें को अच्छी न लगे वह दिमाग को भी अच्छी नहीं लगेगी। फिर इसके अलावा मैं अपने विचार रख रहा हूं। आपकी जब बात आए तब आप अपने रखिएगा। मैं अपने विचार रख रहा हूं। ये मेरे विचार हैं क्योंकि वहां मूर्तियां हैं। खुजराहो में क्या है, यह भी देखिए। आखिर यह बात क्यों है। इसके अलावा हमारे ग्रंथों में महिलाओं की आज यह हालत क्यों हुई। अब बहुपत्नी विवाह की प्रथा हमारे यहां है ...(व्यवधान)

श्री एस०एस० अहलुवालिया: इसलिए हुई कि द्रोपदी की चीरहरण हुआ ...(व्यवधान)

श्री संघ प्रिय गौतम: आपका जब होगा तब कहिएगा। आपका यह पाखंड है जिसको आप कर रहे हैं। जब आपका टर्न होगा तब कहिएगा। मैं कहता हूं कि द्रोपदी का चीरहरण नहीं होता। आपने सवाल कह दिया है तो मैं बता रहा हूं। भीष्म पितामह जो सर्वशक्तिमान थे और पाण्डवों तथा कौरवों दोनों को नियंत्रित करते थे, अगर वे अपनी आंखों से न देखते रहते और दोनों के गाल पर तमाचे मारते तो द्रोपदी का चीरहरण नहीं होता। यह भी मैं बताता हूं आपको। जब कोई भी महान व्यक्ति किसी कुकृत्य को अपनी आंखों से देखता है, बर्दाश्त करता है तब कुकृत्य होता है। भीष्म पितामह इतने शक्तिशाली थे कि वे रोक सकते थे उसको। यह मेरा इंटरप्रेटेशन है। यह मेरा अपना अनुवाद है। आपने जो बीच में कहा। आप जो भी बात कहेंगे मैं उसका जवाब दूंगा।

उपसभाध्यक्ष (श्री सतीश अग्रवाल): आपने तो अमेंडमेंट सीक किया था कि एक्साइटमेंट नहीं होना चाहिए। तो आप क्यों एक्साइट हो रहे हैं। आप अपनी बात कहिए।

श्री संघ प्रिय गौतम: उपसभाध्यक्ष जी, आपने याद दिलाया। बहुत बहुत धन्यवाद।

अब मैं यह कहना चाहता हूं कि महिलाओं का यह जो अश्लील रूपण होता है उससे वास्तव में अपराध बढ़ रहे हैं—जिनका उल्लेख आपने अपने उद्देश्यों में किया है। मैं आज यह देख रहा हूं। अखबार पढ़ता हूं। रोजाना आप भी पढ़ते हैं। सगे चाचा, ताऊ, मामा, फूफा का लड़का अपनी चचेरी, तेजेरी, ममेरी नाबालिग बहिन के साथ बलात्कार करके हत्या कर देता है उसकी। आज ही यह अखबार में आया है। यह आखिर क्यों हो रहा है। फादर डाटर के साथ, भाई बहिन के साथ, अंकल नीस के साथ चाचा, मामा, ताऊ भतीजी के साथ बलात्कार करके हत्या कर रहा है। पहले से ही शराब ने, नशे ने ये तमाम अपराध बढ़ा रखे हैं। यह जो नग्न प्रदर्शन है यह और आग में घी छिड़कने का काम करता है। सरोज जी ने ठीक ही कहा है कि यह जो नग्न शरीर का डिमांस्ट्रेशन है, प्रदर्शन है, यह बंद करना चाहिए। इस पर रोक लगनी चाहिए। उपसभाध्यक्ष जी, अकेले यही नहीं, सरोज जी ने अभी ध्यान दिलाया कि आज जो वेषभूषा है वह भी थोड़ी कम हो गयी है। सरोज जी ने इसका उल्लेख दूसरी तरह से इनडाइरेक्ट किया। आज बहुत सी महिलाएं आधे बाजू का ब्लाऊज पहिनती हैं—स्वयं आपका ब्लाऊज आधा है—और यहां से आधा खोलकर पहिनती है। क्या यह डिमांस्ट्रेशन नहीं है। तो वेषभूषा पर भी रोक लगानी चाहिए। आप जिन्हें पिछड़ा समाज कहते हैं, दलित समाज कहते हैं, अनुसूचित जातियां कहते हैं, गांवों में अगर आप जाएं जिन्हें किसान मजदूर कहते हैं उनकी माताएं, बहिनें यहां तक की कमीज पहिनती है और बंद गले की कमीज पहिनती है, यहां तक 15-20 गज का लहंगा पहिनती हैं और चद्दर औढ़ती है। अपने शरीर का कोई अंग देखने नहीं देतीं।

एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल बहुत सुन्दर थे, उन्होंने कहा कि हम तुम्हारी माता को देखना चाहते हैं। बीरबल की मां काले रंग की थी और उसके दांत निकले हुए थे। वह बदसूरत थी। बीरबल समझ गए थे कि अकबर की नीयत क्या है। उन्होंने यह समझा कि मैं बहुत सुन्दर हूं, मेरी मां बहुत सुन्दर होगी। बीरबल ने अपनी मां से जा कर कहा कि बादशाह तुमको देखना चाहते हैं। बादशाह जब देखने आए तो बीरबल की मां घूंघट काढ कर, यहां तक कि कमीज पहन कर, मौजे दस्ताने पहनकर बैठ गई और अकबर ने कहा कि हम आपकी शक्ल और आपका बदन देखना चाहते हैं। सरोज जी, मेरी तरफ देखिए, मैं डिमांस्ट्रेशन कर रहा हूं। बीरबल की मां ने इतना हिस्सा यहां से उठाया और उसने कहा, अकबर, मेरी शक्ल क्या देखते हो, मेरी कोख देखों जिसने बीरबल जैसा लाल पैदा किया है। आज भारत की संस्कृति उन बहन, बेटी और माताओं के घरों में छिपी हुई है जो पिछड़ी जातियां, दलित जातियां, अशिक्षित दूर-दराज देश के अन्दर रहती है। लेकिन हमारे तथाकथित इस अगुआ समाज की फारवर्ड क्लास की, पढ़े-लिखे समाज की, ब्यूरोक्रेटिक समाज की और

यह जो हमारा संसदीय और विधान मंडल दलों से संबंधित समाज है आज इनकी लड़कियां, बहन-बेटियां स्कर्ट पहनती हैं, ब्लाउज स्लीवलैस जिसे बोलते हैं, वह पहनती हैं। यहां से कुछ नहीं होता। सिनेमाओं में क्या है इस पर रोक लगनी चाहिए। वेशभूषा जिसका उल्लेख आपको इसमें करना चाहिए कि वेशभूषा ऐसी नहीं पहनी जाएगी जिससे बदन का कोई अंग दिखाई दे, ऐसे सिनेमाओं पर रोक लगाई जाएगी।

मैंने पिक्चर देखी नहीं और मैं देखता भी नहीं हूं, लेकिन मैंने सुना है कि "हम आपके है कौन" एक फिल्म है। वह फिल्म जिस पिक्चर हाल में लगी है आज तक उतरी नहीं है। उसमें बताते हैं कि कोई वलगर डिमांस्ट्रेशन नहीं है, कोई अश्लील गाना नहीं है। तो जब "हम आपके हैं कौन" सारे देश के लोग, हिन्दू, मुसलमान, शिक्षित-अशिक्षित, एम०एल०ए०, एम०पी०, ब्यूरोक्रैट जब इस फिल्म को देख सकते हैं लगातार सालों तक और जब इस देश के लोग और पाकिस्तान के लोग रामायण के सीरियल को देख सकते हैं ट्रेन रोक करके और दफ्तर जाने से रुक करके, जिसमें कोई अश्लील गाना नहीं है, तो मेरी समझ में नहीं आता कि इस देश में अगर ऐसी फिल्में बनाई जाएं जिनमें अश्लील हरकतों का प्रदर्शन न हो तो वे क्यों नहीं चलेगी? लोग उन्हें क्यों नहीं देखेंगे? मैं उदाहरण दे रहा हूं इसलिए इस पर रोक लगानी चाहिए।

जहां तक आपने इसमें सजा की बात कही है कि बढ़ाई जाए वहां आपने इसमें संशोधन नहीं पेश किया कि यह कॉग्नीजेबल आर्फेंस तो है लेकिन यह बेलेबल है, जबकि नॉन-बेलेबल होना चाहिए। गैर जमानती होना चाहिए। जो इसका उल्लघंन करेगा इसमें एक यह भी संशोधन होना चाहिए कि जो उल्लघंन करेगा उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट हो। यह दफा गैर जमानती हो। आज ये ऐसी फिल्में क्यों बनाई जाएं। हम जानते हैं बहुत से ऐसे गानें जिनको हम लोग सब पसंद करते हैं और धार्मिक से मेरा कोई मतलब नहीं है, सामाजिक गाने है और जिनको सारा समाज पसंद करता है ऐसे गाने हो सकते हैं तो ये बलगर गानें क्यों एलाउ किए जाएं? इन पर भी रोक लगानी चाहिए। कोई गाना ऐसा नहीं बनेगा जैसा मैंने इसका उल्लेख किया पहले एक बहुत चर्चित हुआ कि "चोली के पीछे क्या है" और उसका बड़ा हो-हल्ला मचा और आज इस मिर्ची का भी बड़ा हल्ला मच रहा है। बहुत दिनों पहले सन् 1945 में एक फिल्म "रत्न" आई थी। मैं उस समय हाई स्कूल का विद्यार्थी था। उस समय मैं उस फिल्म को देखने गया तो उसमें एक गाना था कि,

"रुठे आए झाड़ू मुझसे, रुठ गई टोकरिया,
और कोई बहाना करके आजा भंगन की छोकरिया।
मैं मर गया भंगन की छोकरिया।"

इसके खिलाफ सारे देश के स्वीपर्स ने आंदोलन कर दिया और वह फिल्म बंद हुई, गाना निकाला गया। इसलिए मैं कहता हूं कि महिलाओं को आंदोलन करना चाहिए, आप जैसी महिलाओं को और हम आपके साथ रहेंगे। अगर इस तरह का कोई वलगर नागा बनेगा तो वह फिल्म नहीं चलने दी जाएगी। हमारे इन महिला संगठनों का क्या काम है? जब कोई महिला जलाकर डाल दी जाए तब महिलाएं डिमांस्ट्रेट करें? पहले ही क्यों नहीं प्रदर्शन होता है। महिलाओं के संगठनों को प्रदर्शन करना चाहिए ऐसी वेशभूषा के खिलाफ, ऐसे गानों के खिलाफ, ऐसी फिल्मों के खिलाफ और अंग प्रदर्शनों के खिलाफ। इन पर रोक लगायी जानी चाहिए।

मान्यवर, आज हम सब लोग इस समस्या से पीड़ित हैं और कोई बचा नहीं है। हम लोग अगर गहराई से सोचें तो किसी-न-किसी रूप से हम भी प्रभावित होते हैं। हमारे यहां नहीं तो हमारे दूर के रिश्तेदारों के घरों में इस तरह की घटनाएं घटती हैं। इसलिए यह हम सभी की जिम्मेदारी है। मान्यवर, आज अपराध तो चौतरफा बढ़े हैं, लेकिन महिलाओं के प्रति अधिक बढ़े हैं और दुख की बात यह है कि नाबालिग बहू-बेटियों के साथ अपराध बढ़े हैं। इस तरह आज बहुत मुश्किल हो गयी है और यह जो अपराध है, यह गंभीर अपराध है, इसलिए इसे नॉन-बेलेबल बनाया जाना चाहिए। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि आजकल सभी राजनीतिक नेता और दल एक स्वर में कहते हैं कि कैपिटल पनिशमेंट खत्म होना चाहिए और आवाज लगाते हैं कि ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन हो रहा है। तो जिन की पिटाई-कुटाई हो अपराध करने पर उन के लिए तो ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन हो रहा है और जिस की जान गयी है, इज्जत गयी है, क्या उस के लिए ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन नहीं हो रहा है? इसे समझना चाहिए क्योंकि हम लोग डिस्क्रिमिनेट करते हैं। यह नहीं समझते कि उस का भी ह्यूमन राइट है जिस के साथ अनाचार हुआ है, दुराचार हुआ है, जिस की जान गयी है, इज्जत गयी है। चाहे वह व्यक्ति हो

या व्यक्तियों का समूह हो, उस के भी मानव अधिकार का हनन हुआ है। इसलिए ऐसे मामलों में मानव अधिकार के उल्लंघन का प्रश्न नहीं उठाया जाना चाहिए। चाहे वह व्यक्ति किसी भी दल का हो क्योंकि ऐसे मामलों में हम मानव अधिकार के उल्लंघन की बात उठाकर उस को कमजोर करते हैं। इस से अपराधियों को अपराध करने में बढ़ावा मिलता है। मान्यवर, एक बात और कहना चाहूंगा। आज से 50 वर्ष पहले हमारे क्षेत्र में, ब्रिटिश रिजीम में एक कत्ल हो गया तो चारों तरफ से गांव को घेर लिया गया और अपराधी जिस ने अपराध किया, उसे हथकड़ी डाली, नंगा किया, बनियान-अंडरवियर में गांव में घुमाया और थाने तक ले गए। यह ब्रिटिश रिजीम में होता था, फिर चाहे कितना बड़ा व्यक्ति हो, लेकिन आज थर्ड रेट मैथड इस्तेमाल नहीं होंगे।

मान्यवर, एक और उदाहरण दूंगा, हमारे उत्तर प्रदेश के बहुत ही जिम्मेदार और बड़े मशहूर नेता हुए हैं मेरठ के, श्री कैलाश प्रकाश। वे मिनिस्टर भी रहे और जनता पार्टी के जमाने में सन् 77 में लोकसभा के सदस्य भी रहे हैं। उन्हें ट्रैक्टर के लिए पेमेंट करना था, इसलिए 90 हजार रुपए बैंक से निकाल कर लाए। यह पैसा उन के भाई ले आए और वह चोरी हो गया। जब देखा कि पैसा चोरी हो गया और नहीं मिला तो परेशान हुए और थाने में रिपोर्ट लिखाई, लेकिन उस में किसी का नाम नहीं लिखवाया। यह टी०एन० मिश्र, एस०एस०पी० से मेरी व्यक्तिगत बात हुई है और यह मेरी व्यक्तिगत जानकारी में है, इसलिए उदाहरण दे रहा हूं। तो 3-4 दिन कोई पकड़ा नहीं गया। फिर कैलाश प्रकाश जी उन के पास गए। एस०एस०पी० से उन्होंने कहा कि आप ने अभी तक किसी भी मुलजिम को नहीं पकड़ा? उन्होंने कहा कि आप ने किसी को नामजद ही नहीं किया है। फिर वे बोले कि मुझे फलां-फलां पर शक है। मिश्र जी ने कहा कि आप ने शक में भी नाम नहीं लिखाया। तो उन्होंने कहा कि आप उस व्यक्ति से पूछिए। मिश्र जी बोले कि चलिए मैं आप के कहने से उन्हें पकड़ लेता हूं और वह पकड़ लिया गया। उससे पूछा और उस के बाद छोड़ दिया। फिर कैलाश प्रकाश जी आए और कहा कि आप ने तो छोड़ दिया। वह बोले, मैं क्या करता? उन्होंने कहा कि आप को उन से पूछताछ, इंटरोगेशन सख्ती से करना चाहिए था। तो टी० एन० मिश्र के शब्द थे, क्या मैं दूध-जलेबी खिलाकर पूछता। जब कैलाश प्रकाश जी ने कहा कि आप को उनमें डंडे लगाने चाहिए बर्फ की सिल्ली पर सुलाना चाहिए, मिर्च आंखों में डालना चाहिए। तो टी०एन० मिश्रा बोले कि पांच दिन पहले, जिसने सरासर लड़की को बाजार में छेड़ा था उसमें जब डंडे लगाए थे तो तुम ही लोग मेरे खिलाफ डेमोनस्ट्रेशन करने आए थे कि थर्ड ग्रेड मेथड क्यों इस्तेमाल कर रहे हो। इसलिए सबसे बड़ी बीमारी जो है वह नेता लोग हैं। जब अपराधी अपराध करते हैं उससे पहले यह उसकी सिफारिश में बचाने के लिए पहुंच जाते हैं थाने में, पुलिस आफिसर के पास और उन पर थर्ड ग्रेड इस्तेमाल नहीं करने देते। तो कानून कुछ भी बना लीजिए, लेकिन क्या सजा हो पाएगी अपराधी को? कोई गवाह गवाही देने के लिए तैयार नहीं होगा, चाहे मामूली केस में जमानत न मिले लेकिन बड़े बड़े अपराधियों को न्यायपालिका से रोज जमानत मिलती है, उसको कहते हैं जमानत मिल जाएगी और थर्ड ग्रेड मैथड आप इस्तेमाल करोगे नहीं, हथकड़ी डालोगे नहीं, पिटाई करोगे नहीं, जमानत हो जाएगी, तो कैसे अपराधों पर रोक लगाई जाएगी? इस तरह तो कभी अपराधों में कमी नहीं आएगी।

कुमारी सरोज खापर्डे: सर, मुझे एक मिनट बोलने की इजाजत मिलेगी?

उपसभाध्यक्ष (श्री सतीश अग्रवाल): बोलिए।

कुमारी सरोज खापर्डे: सर, गौतम जी ने बोलते बोलते कहा कि आपने अपने बिल में कहा है कि यह बेलेबल होना चाहिए, यह कहते हैं कि नोन-बेलेबल होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि शायद उन्होंने मेरा बिल पढ़ा नहीं है। मैंने अमेंडमेंट दिया हुआ है पांचवें नंबर पर सेक्शन 8 में।

श्री संघ प्रिय गौतम: I concede मैंने इस सेक्शन को पढ़ा नहीं था, आठवीं पढ़ा था। I have just gone through it.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SATISH AGARWAL): Please conclude.

SHRI SANGH PRIYA GAUTAM: Last sentence.

तो मैं आप सबसे प्रार्थना करूंगा, आप सब लोग सम्मानित सदस्य हैं, राष्ट्रभक्त हैं, मानवतावादी हैं, चिंता किसी को कम नहीं है, लेकिन व्यवहार में और शब्दों में अंतर है। कृपा करके अपना व्यवहार बदल दीजिए। अगर व्यवहार बदल दें तो भारत का सुधार हो जाएगा। भारत आज भी संसार का सिरमोर बन सकता है। कोई कमी नहीं है इस देश में। नारियों का आज भी बड़ा भारी सम्मान है। आज भी गांव में बुजुर्ग यह कहते हैं, जब महिला के कोई मूंह लगे तो, कि क्यों स्त्री के मूंह लग

रहा है, क्यों बच्चे के मूंह लग रहा है। क्या भाव है इसका? यानि महिला का सम्मान है। महिला के मूंह नहीं लगना चाहिए। सम्मान है उसका। अगर हम अपने व्यवहार को बदलें, सब लोग व्यवहार को बदलें तो हमारी सरोज जी की जो पीड़ा है कि हम यह नहीं होने देंगे, हम ऐसी फिल्म नहीं बनने देंगे, ऐसे गाने नहीं होने देंगे, ऐसी वेशभूषा नहीं पहनने देंगे और ऐसे पोस्टर नहीं चिपकने देंगे, ऐसी फिल्म नहीं देखेंगे, जैसा आपने जिक्र किया है ब्ल्यू फिल्म वगैरह का, उसका बहिष्कार करेंगे तो अपने आप सुधार हो जाएगा।

महोदय, आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे घर में पिछले 30 साल तक टेलीविजन नहीं रहा और मैं अभी एक टेलीविजन लाया दो हजार रुपए का और वह भी समाचार सुनने के लिए। आप यकीन करें मेरा, मैं विश्वास दिलाता हूं, ईमानदारी से कह रहा हूं। इसके अलावा मैं टी०वी० पर कुछ नहीं देखता। क्यों नहीं देखता? टी०वी० में कोई बात चरित्र निर्माण की नहीं होती। सब तरह की बिगाड़ की बातें हैं। टी०वी० में फिल्म देखने, गाने सुनने, एडवर्टाइजमैंट देखने से न कोई मानवता जागी, न भारतीयता जागी, न चरित्र जागा और न ईमान ही जागा, सिर्फ बिगाड़ ही बिगाड़ हुआ है समाज का। मुझे तो समाचार सुनने हैं, तस्वीर देखे बिना भी सुने जा सकते हैं। वायस, आवाज आनी चाहिए कान में, समाचार पढ़ने वाले की शक्ल दिखाई दे या न दे।

शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्रालय और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री एस०एस० अहलु-वालिया): तो रेडियो से सुन लीजिए।

श्री संघ प्रिय गौतम: मैं आपसे कह रहा हूं। आप मजाक उड़ा रहे थे उस दिन वीणा जी के बिल पर और आल्वा जी चली गई थी। चीज कह रहे थे औरत को आप। आपका ओन रिकार्ड है यह और वह प्रोटेस्ट करके चली गई थीं आपके खिलाफ, चीज कह रहे थे आप औरत को।

इसलिए मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने सभी भाइयों, बहनों, सम्मानित सदस्यों से यह निवेदन करूंगा कि यह बहुत बड़ी चिंता का विषय है। महिलाओं का अपमान और उनके प्रति अपराधों में निरंतर वृद्धि हो रही है। इस पर रोक लगाना अवश्यक है। इसीलिए मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। यहां तक सरकार जो विधेयक लाने जा रही है, उस विधेयक में महिलाओं का आरक्षण भी, महिला का सम्मान भी, इन सबको भी सन्निहित करना चाहिए।

बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री शारदा महन्ती (उड़ीसा): उपसभाध्यक्ष महोदय, सरोज जी जो यह विधेयक लाई हैं, मैं उसका समर्थन करता हूं मगर एक बात उनको थोड़ा रिक्वेस्ट करता हूं कि वह जो विधेयक लाई है, उसमें सैक्शन 2(जी) में लिखा है:—

> "(g) "publish" means to prepare, to print or to distribute to anyone for publishing in any book, newspaper, magazine or periodical."

तो मेरा कहना है कि उसमें सिनेमा भी जोड़ देना चाहिए क्योंकि आजकल आप हर घर में देख रहे हैं कि ज्यादातार लोग न्यूज़ नहीं देखते हैं, "ज़ी टी०वी०" या "स्टार टी०वी०" देखते हैं। उनमें ज्यादातर नग्न चित्र आते हैं और उसको बच्चे भी देखते हैं। सबके घर में लोग "जी टी०वी०" या "स्टार टी०वी०" देखेंगे लेकिन "डी०डी०-1" या "डी०डी०-2" नहीं देखेंगे, जहां न्यूज़ या दूसरी बातें आती हैं, उसको नहीं देखते हैं। इसलिए उसमें उसको भी थोड़ा जोड़ देना चाहिए।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जो इन्होंने सैक्शन 4 में लिखा है:—

> "(3) Whoever contravenes the provisions of section 3A shall be punishable with imprisonment which may extend to two years."

जब औरतें उस पिक्चर को उठाने के लिए कैसेट नहीं देंगी तो कैसे वे लोग उठाएंगे? उन लोगों को भी ज्यादा पनिशमेंट देना चाहिए और 2 साल की जगह 5 साल होना चाहिए और इसके अलावा फाइन भी होना चाहिए, यह भी उसमें जोड़ना चाहिए। इसलिए सैक्शन 4 को थोड़ा अमेंड करना चाहिए। यह जो नग्न चित्र दिखाते हैं, गौतम जी बोल रहे थे, जो मंदिर में दिखाते हैं, मंदिर में क्यों दिखाते हैं? क्योंकि उस तरफ आपका ध्यान नहीं रहेगा, भगवान की तरफ ध्यान रहेगा। यह जो है, उसके पीछे असल चीज़ है। अभी मैं मद्रास गया था, एक कमेटी के साथ गया था, और होटल में ठहरा था। वहां मैंने देखा कि उस होटल में, फाइव स्टार होटल में, नग्न चित्र साफ दिखाए जाते हैं। तो वे नग्न चित्र वहां भी रहते हैं, यह सब नहीं होना चाहिए। वहां पर भी फीमेल का नग्न चित्र नहीं रहना चाहिए, यह मुझे कहना है

accepted by the society. Sometimes, it is used for art, medicine and health. That is one part of it. Another part is gross commercial exploitation of sex. Here I should say that one of the things, which is why I want it to be broadened, is the television advertisement. Is it a coincidence that in the last year two of our young ladies had been adjudged as the best in the world in terms of beauty, one Miss World and the other Miss Universe? I am not saying that Indian women are not pretty. But is there something behind it? Two young Indian women get adjuged as the best in the same year. I think one has to go into the organisations which organise these shows. These shows are banned on the television in most of the European countries. But we showed it this year in our country. Why did you show it? What did they show? The people are viewing them as items of consumption. Still we are happy to watch those things and feel a sense of national glory that the two women have won the World Crown. Having won that World Crown or whatever it is, what is done with these ladies? They are bound by a contract for one full year and during that one year they advertise for a whole variety of commercial goods. That is precisely the objective for which they are made Miss World or Miss Universe or something like that.

4.00 P.M. See this advertising interest to promote a certain commodity with a pretty woman being associated with it, which may have nothing to do with the woman. For example, in many cases, with some automobiles on machines with which women are not supposed to be associated, they show a woman because it sells more. So, they are using the body of a woman to promote certain goods. That is precisely the objective with which the Miss World and the Miss Universe contests are organised. That is something very shocking. For example, this year they had organised this contest in Namibia and one black American woman was crowned. The reason is very simple. They want new markets. With two Indian ladies last year they got a large chunk of the Indian market. This year they will have the African market. This is the way they proceed. The commercial objective is behind it. That is something which should be taken note of and certainly that should also be within the compass of this Bill. This is the way women are being used. I think it is very reprehensible.

I will make one or two points more. I understand that one member of the BJP is very prominent in producing obscene and vulgar films. He has a Television outlet through which he does it. I think the party has to take a decision on this. It is not a question of merely giving a lecture or deliberating here. If the parties are really so serious and if their members are indulging in such corrupt practices, then they should be thrown out of the party. If a party takes a moral posture on various issues like crimes, etc. then it should not remain silent. They were silent yesterday on the question of *hawala*. Similarly, on the issue of sexual exploitation of women they should not remain silent. If any member of that party is seen to be sexually exploiting women, then he should be thrown out of the party. Unfortunately, that has not been done. I think all the parties have to take a concentious decision on that. If anybody is found guilty of such an offence against women, against humanity or against civilization, he should be thrown out of the party. That person should have no place in public life. That kind of a position should be taken.

और यह जो सिनेमा में, हम जो बोले हैं ड्रेस पर, यह सब उठा देना चाहिए। भारतवर्ष का ड्रेस वह दिखाइए जो पहनाया जाता है, नग्न ड्रेस नहीं दिखाया जाना चाहिए, यही मुझे कहना है।

इन्हीं शब्दों के साथ कुमारी सरोज खापर्डे जी का जो बिल आया है, उसका मैं पूर्णतः समर्थन करता हूं।

DR. BIPLAB DASGUPTA (West Bengal): Sir, I rise to support this Bill which has been proposed by Miss Khaparde. I am having some difficulty largely because it was arranged for someone else from my party to support the Bill. So, I am a sort of replacement for somebody else and I am indecently exposing myself to this House without properly preparing on this.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SATISH AGARWAL): But indecency should not be within the prohibited limits of this Bill because the Bill has been styled as such. You know the words: "The Indecent Representation of Women (*Prohibition*) Amendment Bill, 1995". You should not come within the purview of this Bill.

DR. BIPLAB DASGUPTA: I won't. In any case, the BIll is a very important one because it is happening in such a big way in our country that there is a need to more this kind of a Bill and to put it as a subject for public discussion. Now, though here, of course, the emphasis has been on nudity, semi-nudity and all that, what I find on the television, where they may not be showing explicit nudity, is even worse. I have seen them on the Western television where they show full frontal nudity. I had been through all these for so many years in the West. But that is much less shocking than what is now shown in the Bombay cinema. The suggestions and all that are more titillating, more tempting and more erotic than what is shown more explicitly in the West. The point which I am making is, maybe, the scope of this Bill could be broadened to bring within its purview not only such exposures which you have mentioned here but also some of the things which may go on in the name of culture in Bombay cinema and all that. I mention this because this has a profound influence on our youth. In fact, there have been a number of cases in the past. In the last few months I have seen even in Calcutta youths are trying to emulate whatever they see in the films and what they emulate is dangerous and undermines the moral basis of our society. Take, for example, chasing women. In Calcutta I see the rich boys having cars start, at an early age, kerb-crawling, chasing girls. They have seen all these things on the television and in the films. They think it is quite respectable. This is something which we should really fight. Obviously some distinction has to be made. I think some redrafting has to be made in order to ensure that where the exposure is not indecent and commercially motivated, it is not brought within its purview. For example, human body has always been a subject-matter of art. Our Minister will agree with me that human body has always been a subject-matter of art at the highest level. Therefore, it is not simply human body as such, whether it is male body or female body. You could not make it punishable on that ground. Otherwise a lot of these things which are there in the renaissance art would have to be banished because they show human body, both male and famale. But that is not indecent because that is art. There one has to draw a line between what is decent and what is indecent and that has to be understood in a certain context, for example, what the motive behind it is. If the motive is commercial exploitation of the sexual feelings of the people then it becomes indecent, it becomes an exposoure. It it is an a medical book, obviously it is not indecent. So, in this sense one has to make a distinction between indecent exposure and decent exposure which is

Lastly, it is all a question of our attitude towards women. It is not a matter of simple coincidence that in areas where you find that the largest number of crimes are committed against women, whether rapes, molestations or dowry deaths, these are also the areas where you will find that the largest number of crimes are committed against the Scheduled Castes and the scheduled Tribes where semi-feudal land relations dominate. These areas are Bihar and Madhya Pradesh which have the highest figures. Delhi also has a very high figure of woman-teasing and bride-burning. It is happening under the influence of television and all that. This should also be taken into account. The kind of role model which is being projected for women, should also be taken into account. We see woman as what? We see woman as a good housewife who should be devoting her energy for doing good for her husband. Her only mission is to make her husband happy. This is the kind of attitude towards women which is promoted. It is promoted by films, by television. The question which arises is this. Is this the kind of role model for women we want to promote in our country? Our country is going into the 21st century within a short period of time. I am saying this as a professor. I was a student in the Calcutta University. I was a student of economics. Economics was supposed to be a hard subject, a subject not fit for women. There were 108 students, out of which 100 were boys and 8 were girls. I still remember it. It happened so many years ago. These eight girls used to come with the teacher and used to leave with the teacher. They would never sit with us. The majority of the boys would keep looking at them from a distance. From time to time, long sighs would be let out by them. They might have been writing poems on them. But they never talked to them because that was not permitted in those days. Generally speaking, that was how things were when I was a student. Now, what do we see? After so many years, after almost 40 years, even in the so-called hard subjects like engineering, physics, nuclear physics, including economics, the number of women who are taking up these courses has gone up. It is more than half in the case of economics. Earlier, the general idea was that women should take up philosophy or Sanskrit and not take up the hard subjects. But this is no longer the case now. I was in Orissa recently. I was at a seminar in the Bubaneshwar University. I was really amazed to see that more than half of those present were women. Not only this, but they are the better ones. In Calcutta, in the last few years, I find that among the first 20 students, at least, 16 are women. They are the better ones and they are doing well in each and every subject. This is the case in most of the universities and this I found out from the Vice-Chancellors and senior teachers. In economics at least, which is my discipline, that is the general experience. Permitting such indecent exposure of women in the media is demeaning not only for women but also for men. We should project such a role for women which is not the role of a *Sati*. That role, we should reject. That is not the role we want. We want a role where women and men are adjudged equal. Women are fit to play any role which men can play. For example, very recently, while we are defeated in almost all the games that our men play, some of our women have always performed better. Some of our best athletes are women. We have received awards in competitions where our women have participated. Very recently, of all the sports, in weight lifting, our girls have won nine medals—three gold and six silver medals. This is the way in which things are changing. Our perception of women which is semi-feudal, which is out of date and which belongs to the

16th century needs to be changed. That attitude has to be completely written of and that is the kind of approach that we should adopt in this Bill. I congratulate the sponsor of the Bill for raising it here and it should be given all the support that it deserves. Ms. Saroj Khaparde particularly deserves our congratulations for moving the Bill. As it happens to be a Private Member's Bill, it will not be accepted in this form. But certainly with some modification, some revision and extension and so on, the Government can seriously consider bringing in a proper Bill so that all the abuse to which women are subjected to in our country, which is a matter of shame for us, is put to an end.

श्री शारदा महन्ती: उपसभाध्यक्ष जी, मुझे एक बात कहनी है, देखिए इतने महत्वपूर्ण बिल पर हम विचार कर रहे हैं और यहां हाउस में कितने आदमी हैं? महोदय, मेरा सुझाव है कि प्रायवेट मेंबर्स बिल को फ्रायडे को न रखकर किसी दूसरे दिन रखा जाना चाहिए।

श्री संघ प्रिय गौतम: फ्रायडे के बजाय "प्रायवेट मेंबर्स बिल डे" मंगलवार को होना चाहिए।

उपसभाध्यक्ष (श्री सतीश अग्रवाल): यह आज जहां तय नहीं हो सकता।

श्री संघ प्रिय गौतम: हमारा यह सुझाव रिकार्ड करवा दीजिए।

श्री शारदा महन्ती: आप रिकार्ड करवा दीजिए।

उपसभाध्यक्ष (श्री सतीश अग्रवाल): आप बोलेंगे तो रिकार्ड तो हो ही जाएगा और आप बोले ही इसलिए कि रिकार्ड हो जाय।

श्री संघ प्रिय गौतम: महोदय, अगर रिकार्ड होगा तो इस का असर भी होगा।

SHRI VAYALAR RAVI (Kerala): Mr. Vice-Chairman, Sir, I rise to support the Bill moved by my colleague, Miss Saroj Khaparde and I congratulate her for the initiative she has taken on an issue which is of concern not only to this House but to the whole nation.

[The Vice-Chairman (Miss Saroj Khaparde) In the Chair]

Madam, through the Bill you pointed out that the women of this country were being projected as a commodity to attract the attention of the buyers. In the present circumstances of the country with globalisation of our economy, the market has become a sellers' market. Every corporate house, every industry and every producer is competing to attract the attention of the buyers through advertisements, either visual or print media. Whatever it may be, increasing emphasis on advertisement has become the order of the day. The situation came to such a pass that this House was compelled to take notice of the way in which the situation became ugly.

Recently there was a controversy over a nude advertisement published by one of the magazines of Bombay. The people of India have reacted to this very sharply, and I congratulate our people, particularly the women who took processions against that advertisement.

I want to make a point here. If you go to our airports, you will find that the book-stalls there sell pornographic magazines publicly. Some of them are worse than *Playboy*.

I believe that we have a law which makes it punishable if a magazine prints, publishes and sells pornographic material. It even prohibits indecent advertisements. When such a law is there, I don't know how these magazines are able to print such pornographic materials.

In Delhi, there was a hue and cry raised against a woman advocate who posed in a porno magazine. Lawyers of the Delhi High Court demanded action against that woman advocate. They demanded that that woman advocate should be barred from practising in the High Court. They said that the woman advocate ought not to have posed in such a manner. I don't know what provoked that woman advocate to do so and I don't want to accuse her. But very rightly the Bar Association protested against that act. The Bar Association did a right thing

and I congratulate it.

The fact that people have reacted very sharply to the nude posters of the Bombay models shows the increasing awareness of the people. The incident of the Delhi High Court advocate further strengthens such an awareness.

There is a law which empowers the Customs people to seize pornographic magazines or videos being brought in by the people and prosecute them too. When such a law is there, how are these magazines coming into this country?

Through this House, I demand that the Home Ministry should write to all the State Governments to implement the law, which is already there in both letter and spirit and prosecute those people who print, publish and distribute pornographic magazines. Unfortunately many State Governments are closing their eyes to such publications. Such magazines are not only printed in Hindi and English but also in the vernacular languages.

As far as advertisements are concerned, I recall an incident. When I was a Minister in my State, a question arose whether a newspaper or a magazine could be prosecuted if it published advertisements of a particular brand of whisky. We took action against such advertisements. But today the electronic media itself is publicising liquor brands in the name of sports. In the name of sports, especially in cricket — where our hon. Minister himself is very much involved — I don't know how it is being encouraged in the electronic media, how the liquor barons are being allowed to do publicity. Madhavraoji, I am speaking about the Cricket Control Board in which you are very much involved. I wish you to be its President again. (*Interruptions*) You are a lucky person. That is what I am saying. And Azhar is also a very lucky Captain. So, madam, what I am saying is, whether it is One-Day cricket matches or series or football matches, why are these sponsored by the liquor houses? Of course, there is a law in this country under which the print media is not allowed to print even an advertisement, and if they do that there is a provision for prosecution. But then, how can the electronic media project it? Of course, they are free today. But then, the STAR TV is doing it, and they may ask, "why do you prevent us?" But then the Westerners do many things. We are not expected to follow everything that they do. Rather, I want them to understand what we do. Today, the situation is very much of an invasion into our oriental culture, the culture of this nation, this sub-continent, this part of the hemisphere, by the Westerners, not only in the field of music but in every walk of life, by which they are influencing our younger generation very much. So, are we going to encourage all this through our print or electronic media? I agree with you, Madam, that the arguement may be put forward by some quarters as to how we can prevent the invasion of electronic waves from the satellite. This question may be true. It may be difficult to prevent it. But at the same time, we can encourage our younger generation to go along with our culture by projecting more and more of what we could project. That is lacking here. Our media, especially the electronic media, wants to follow what the others do, rather than forcing the others to follow us. This is one of the major lacunae that I see. So, it is necessary that the Government, especially the State Governments, must start implementing the law which is already there in their hands and take punitive measures which are already available with the State Governments.

Now, these video clubs have become the order of the day everywhere, in every city. These have now come into the villages also. These have become one of the major instruments of communication. Madam, as you rightly pointed out, girls are being lured to the clubs, nude scenes are being filmed and shown, and they are being blackmailed and led to prostitution and what not. We all know the notorious

case that took place in Maharashtra, which appeared all over the country in the newspapers. Ajmer also. Kerala also is not free from it. There was a case, in Coonoor. So, it happened in my State also. I heard the story. I read it in the newspaper. I don't know what the truth is. So, the question today is, how to stop this tendency of exploitation, exploitation of the sentiments of the human beings, sentiments of the people, rather sentiments of the society. The State Governments have to take action. Now it is easy. Things are becoming easier because with the Panchayati Raj institutions and Nagarpalikas coming into being, these powers can be given to these institutions, because the people's representatives are ruling the States, the Districts, the Blocks, the Panchayats. So, we have to give them all the assistance and all the powers to recommend such cases for prosecution because they are the people on the spot, rather than giving these powers to the Police. The Police always behave in such a way that if they want to cook up a case, they can cook up a case. If they want to save a person, they do that. At the moment, I don't want to go into how the police behave. Madam, it is necessary that the video clubs, functioning of video institutions and how they are projecting these kinds of things have to be checked. These powers can be given to the lower-level agencies, especially the panchayats and zila parishads. We can think of this kind of a proposal.

Now I come to the films. I fully agree with you when you said that the films are encouraging the younger generation to go mad, in the sense that they inherit all vices. All sorts of vices are being shown in them. How do they dance? If you go and look at the poetry and songs, then *Vedas* and *Puranas will* be forgotten. There are dance sequences and twisting like anythng. In Europe, twisting is considered as a kind of exercise in the winter season as it warms the body, but here it is very ugly and all kinds of half-worn dresses are shown. It is very provocative and nasty. So, these types of dances are being shown in the films. These films also pass through the Censor Board. The Censor Board allows such films and it never checks them. Apart from songs and dances, there is a lot of violence in these films. In this connection, I have to say that the Tamil films, especially films made by Shri M.G. Ramachandran, popularly known as MGR, were very good. MGR was adored by the womenfolk in Tamil Nadu because he was the champion of the cause of womanhood, the mother, the sister and there was always a moral theme in his films. That is the reason why he is remembered as a living hero in the minds of the people. So, these films could influence the people. The films are one of the most important means of communication with the masses. Their influence on the masses is tremendous. I put it that MGR still lives in the minds, especially in the minds of womenfolk in the State of Tamil Nadu. Unfortunately, that kind of approach is not visible in other parts of the country, especially in the Hindi films. All sorts of crimes are committed against women in these films. The Hindi films try to copy the Hollywood films, especially the cowboy movies. They copy shooting, drinking, fighting, killing and raping from the Hollywood films. What else is there in these films today? There was some moral in the film by the name 'Bombay'. It projected the communal conflict so clearly. The director highlighted violence, killing and butchering by various communal elements, but he could not screen it because somebody had to certify it. It was not the Censor Board, but Mr. Bal Thackeray who had to certify it. I don't know, Madam, where we are going. A gentleman sitting in Bombay says, "I am the remote control of the Government and the Chief Minister has to obey my orders and if you want to exhibit a

film, it must be certified by me." Are we living in a democratic country? I am quite surprised. Naturally, the man who spent more than twenty to thirty million rupees surrendered before the ugly and arrogant wishes of a gentleman. Can the administration and the Government be a helpless silemt spectator of such kinds of atrocities on a film producer? I don't agree with such kind of an arrogant gentleman who thinks that he is controlling a State with a remote control. I sympathise with the BJP friends who have to go with this tune. I can only sympathise with them. ....*(Interruptions)*.... I only sympathise with them for their going along with him.

DR. BIPLAB DASGUPTA: They are merrily going with them. ....*(Interruptions)*....

SHRI SANGH PRIYA GAUTAM: We don't want lip sympathy.

SHRI VAYALAR RAVI: That is why they could even defeat Jayalalitha by feeding more than one million people in a day. They can do anything because they are in power.

Madam, what to do with the fims? There is a law. Maybe, some relaxations have been made. Dasguptaji, with due apologies to you, Bengali films are very fine. They have a high moral. I am sorry, I could not mention that.

DR. BIPLAB DASGUPTA: Now they are worse. Quality is poor. *(Interruptions)*

SHRI VAYALAR RAVI: Bengali films went to panorama. I appreciate that. That is why Satyajit Ray was honoured. We are proud of that, of course. That does not mean that Malayalam films are lagging behind. Mr. Sangma is a good friend of mine. Let him take note of the sentiments of the hon. Memebrs. A time has come to follow the style of Indian films and not the crazy Hollywood films. We have to come back to the style of Indian films which project the ethos of India. Which project the culture of this nation, which can attract influence and guide Indian people, especially the new generation.

About music, I an not denying the younger generation should not have a sentiment towards dance. But, we cannot control it at gun point. We can do it by law. We can influence people through media. That is the point. I am not a hypocrite to believe that tomorrow young people will become *Sanyasis,* and they will not go to dance. Of course, they will. Young people may do it. But they should not cross the limits. They should not have a feeling that seeing Star TV or 'V' Channel or MTV is the only world. That is not the world. That is an ugly world. Our people should feel, 'No, there is something else.'

Madam, I do not know if you have heard the music concert, Carnatic music concert, of M.S. Subbalakshmi given in the U.S.A. We still hear that and enjoy like anything. *(Interruptions)* She is world famous. I am saying about Carnatic music. M.S. Subbalakshmi's concert was one of the best in the U.S. Its record has a big value, which unfortunately, never comes on the TV. Even the regional TV centres seldom give this kind of programmes. There are many many ways of music in our country, for example, Nagaswaram, which can attract people. They never appear on TV. I happened to see a TV programme in Madras Airport. I sat before a TV in the VIP room. A dance programme was coming. Such a dance in Tamil also! Surprising. What is this? I can understand if it were MTV. But it was in a regional laungage! They think this kind of an imitation is the best. There should be some limitation. This nation has originality. It has its own culture and heritage. We inherited one of the greatest cultures in the world. Unfortunately, we are slipping away. The electronic media of the Government shall not be a party to it. The Government has to be able to control it. Definitely we need some kind of a control over this.

Madam, I now come to atrocities on women. Why are atrocities on the rise? It

is because this kind of media is not showing the other side of the story. About dowry deaths, how much news do they give? Indiraji had gone to the extent of putting the onus on the accused. So many changes have been made and yet it continues in the country. Unfortunately, our print media or the visual media could not influence the younger generation. We could not influence them. That is the reason. It is not preventing this kind of an indecent exposure. About posters, there is a law. Even today a poster to be pasted anywhere in a city or a village should have the seal of the Corporation or the Panchayat. I hope you know that law. Why cannot they say, 'No?' There must be a system.

People who are responsible for the enforcement of the law are themselves not serious enough in enforcing it. There was an agitation in Trivandrum city in Kerala by women against the posters, ugly posters where women had been shown indecently. Many pornographic films produced in the north are being pushed into Kerala in Malayalam version. Now it has been stopped, but it is quite unfortunate. Madam, that it has happened. Villagers cut and add blue films int the films. Who is there to raid and arrest them? What we suggest in this debate is that, before we pass the law or the Government accepts the proposal, I wish the Home Ministry draws the attention of every State Government to this. The State Government can direct the Nagar Palikas, the district councils and the Panchayat council to the posters, the film posters. And whatever it maybe, they should prevent this becuase the present law is enough to prevent the pasting of these posters. It can be done, I hope we can direct them. So what you propose is comprehensive, in the sense that certain things have been defined. Apart from that, Madam, I feel that we should do something more. Mr. Netam spoke about music. I think I will be failing in my duty if I do not mention it. Though he is not present here, he spoke of the wording of the song, *Choli ke peeche kye hai.* Unfortunately, his party used that song against my party. This song has become very popular because of my friends as they made a parody of this song. What I am saying is, when political parties are also responsible, even this kind of songs become popular. Madam, what I suggest is that, number one, enforce a law which prevents the printing, selling of the pornographic magazines and every State Government must prosecute such people. The airports and railway stations are one of the major selling areas. This kind of the magazine should not be allowed. This is one of the most important points I am making. The other thing is that certain magazines still carry a clipping on the centre page. They say, if you want to see a picture, you pay money and see it and the cost is, I think, Rs. 50 to Rs. 60. This is the kind of magazine which is available. So, I think, local police and State Governments can definitely seize all these magazines. They can do it. The other thing is that there should be a law to prosecute the models. I do not know whether you have seen some advertisement of Kama Sutra or something like that. Madam, I tell you an interesting thing. Hindustan Latex is an institution in Kerala. It is a public sector institution. Now they are making profit. They are doing a very good job. They are producing Nirodh and all these things. Now they are on the verge of closure because the Government of India is encouraging the private companies and they are doing very well. Anyhow, I asked them the Managing Director and others asked them, why can't you go in for advertisement and a free market? Then they said, 'No, we can't do advertisements as others do.' At that time the full-fledged advertisement was available in the magazines where they showed in an indecent way a young couple standing and expressing an emotional face on either side. You can see the advertisement. It is not good. I am glad that the public sector institutions do not resort to such advertisements. But the result is that they are facing closure

because the open market is captured by these people. The private sector captures it because of advertisements mainly. This kind of advertisement I see on the TV where it is almost nudity. I do not know how it is being allowed. It should not be allowed.

Madam, in a nutshell, I would say this. What is happening today? What is our culture? What is our attitude towards women? We have inherited a system. Our society has inherited a system—As you rightly put it—where the concept of motherhood is respected. Respect for the women. Respect for the mother. No Indian can allow that motherhood, that womanhood, to be ridiculed, or, to be treated as a commodity for sale.

DR. BIPLAB DASGUPTA: Madam, may I ask him one thing, if you would allow me? 'Motherhood' is fine. But you are laying too much emphasis on motherhood. That cuts out women in a particular role; their role at home; their role in the kitchen; their role in minding the baby. Why should not the father also take on some responsibility for the grooming of the children? Why should not the father also wash the nappy for the child? The father and the mother should have equal responsibility.

The point is, the whole concept of motherhood should be rejected. There is no difference, excepting that women produce children men cannot do it. This is all the difference. Apart from that, I think the whole concept of motherhood is an obnoxious one. It is a Sixteenth Century concept. It should be rejected.

SHRI VAYALAR RAVI: I say 'motherhood' in this sense. Mother is a mother.

DR. BIPLAB DASGUPTA: Father is also a father. So what?

SHRI VAYALAR RAVI: There is a famous dictum: 'Attack is the best form of defence'. It is a fact.

DR. BIPLAB DASGUPTA: Child is a joint product. What can be done? *(Interruptions)* My point is, why do you play on this 'motherhood' business?

SHRI VAYALAR RAVI: This is in our tradition. Father is the head, but mother is the....

DR. BIPLAB DASGUPTA: Why should the father be the head?

SHRI VAYALAR RAVI: Father is the head, but mother is the kingpin.

DR. BIPLAB DASGUPTA: I am sorry, Madam. Although my friend is speaking on this Bill, he is still rooted in the past. He is saying that father is the head. Why should the father be head? What is the logic? Why should not the mother be the head? *(Interruptions)* Once upon a time, there was this practice. *(Interruptions)* In your State also. *(Interruptions)*

SHRI VAYALAR RAVI: I agree. In every house it is there. In my house also, I have kept it. It says: 'I am the master of the house, but I have the permission of my wife to say so'. I agree.

DR. BIPLAB DASGUPTA: That is precisely the question which is being raised. Why should you play on this concept of man being the master of the house? What is so special about men? History has given certain opportunities and privileges for men. *(Interruptions)* You must accept that your wife is no inferior to you. Perhaps, if your wife had been the boss, she would have done a much better job than you. Maybe. Who knows?

SHRI VAYALAR RAVI: Madam, Biplab is trying to create a quarrel in my family. Actually, my wife is involved in the women's upsurge. She is one of the champions of the women's cause. Biplab is trying to create a problem in my house.

SHRI MADHAVRAO SCINDIA: She cannot be the master of the house. He cannot be the mistress of the house.

DR. BIPLAB DASGUPTA: Both should be equal, but he is saying that he is more equal than his wife.

SHRI VAYALAR RAVI: I would like

to point out one thing here. We were discussing earlier the Bill moved by Shrimati Veena Verma. I would like to point out that in Kerala, women teachers constitute fifty per cent of the total number. But what is their plight? What do the men do? They get up in the morning. In Kerala, there are a lot of newspapers. They read the newspapers, smoke and ask for their bed-coffee. The poor lady has to see to it that the children go to school. She has to cook and do all other work. She may be working at a far-off place. She has to catch a train, go to the place of work, come back in the evening and again cook. What do the men do during the day? They simply indulge in politicking. This is all they do.

SHRI S.S. AHLUWALIA: The same thing in Bengal.

SHRI VAYALAR RAVI: It is the same thing in Bengal and Kerala.

Madam, another thing is, in the Kerala schools, the percentage of girls is 0.5 more than the boys. The hon. Minister knows it.

Again, if you take the men-women ratio, it is 100:103. This is the ratio in Kerala. This will give you an idea of the importance given to women in Kerala. But the point is, still the women are suffering. Even today, in a State like Kerala, with 100 per cent literacy where many women are employed, still women have to work very hard at home to send children to school, cook food and do many other household chores. That is why during election time I used to say that we men have to learn cooking nowadays because women are going out as Panchayat Presidents, Zila Parishad Presidents, Member of Parliament and Legislative Assemblies-all walks of life. I appreciate it, I welcome it. That is one important phenomenon in the development of society.

DR. BIPLAB DASGUPTA: If Mr. Ravi wants, I can give him a lesson in cooking, and also nappy cleaning. Maybe for nappy cleaning you are too late, but, for cooking you are not too late!

SHRI VAYALAR RAVI: Bengali cooking is not good, I tell you. I have tried it.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI S.S. AHLUWALIA): You eat sea fish and they eat pond fish. There is no difference!

DR. BIPLAB DASGUPTA: I will add more coconut!

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI MADHAVRAO SCINDIA): Men are better cooks! In all the five-star hotels, the cooks are all men!

DR. BIPLAB DASGUPTA: It is a myth propagated by women not to allow men into the kitchen! But, actually, men can do as good cooking as women do. It is a myth propagated by women. Don't believe it.

SHRI VAYALAR RAVI: I agree with you: we are better cooks! But it is the false prestige of the menfolk which creates problems.

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): Unless you invite us for dinner, we can't say that you are a better cook!

SHRI S.S. AHLUWALIA: Offer dinner to Annapurna!

DR. BIPLAB DASGUPTA: All right, I invite you!

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): Thank you!

SHRI VAYALAR RAVI: Madam, unfortunately because menfolk still have this kind of a superiority complex, you have to fight against it and defeat it. I agree with you. I am on your side on this point.

In a nutshell, I put it this way: The Bill that you have introduced is evoking the response of this House because it is not only against the indecent exposure of

women in advertisements or whatever it may be, but it is also posing a problem to the womenfolk of this country. That is a problem which has to be tackled by the society as well as the Government. That is what is important. It is not a question of imposing penalties because of a law coming into being but to bring about an awareness among the people, in the society, about the introduction of a law and the extent to which we can go. Already there are enough powers in the hands of the Government. We have a new system of Panchayati Raj and the State Government can easily implement many things.

Therefore, Madam, I congratulate you for moving this Bill-luckily for us you are in the Chair now-and through this Bill you have raised an issue which needs the attention not only of this Parliament and this nation but also demands thinking on the part of the people so that they can give a new direction and throw new light on the whole problem which can save the new generation from the ugly influence of the invasion of this country by Western culture.

Thank you , Madam.

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (उत्तर प्रदेश): माननीय उपसभाध्यक्ष जी, आप इस समय इस सदन की पीठासीन अधिकारी हैं, लेकिन जिस समय आपने इस विधेयक को प्रस्तुत किया था, मैंने बहुत ध्यान से आपके विधेयक को पढ़ा है और आपके विचारों को भी सुना और अन्य अपने विद्वान सहयोगियों के विचारों को भी सुना। इस विधेयक के जरिए आपने हमारे राष्ट्र की इस समय जो चारित्रिक गिरावट है उस ओर ध्यान आकर्षित किया है और इसलिए मैं अपनी बात शुरु करने से पहले आपके प्रति आभार प्रकट करना चाहता हूं कि यदि आपके विधेयक के प्रति सरकार ने ध्यान दिया तो निश्चित रूप में यह जो राष्ट्रीय सामाजिक बुराई है उसको दूर करने में सहायता मिलेगी। सन् 1986 में इंडीसेंट रिप्रेज़ेंटेशन आफ् विमेन (प्रोहि-बिशन) एक्ट इसी सदन ने और लोक सभा ने पारित किया था और जिन कारणों से यह विधेयक पारित किया गया था वह कारण आज भी हमारे बीच में विद्यमान ही हैं, बल्कि धीरे-धीरे यह सामाजिक बुराई बढ़ रही है और आज विशेष करके जो व्यापारिक वर्ग के लोग हैं, चाहे साड़ी के हों, चाहे कपड़े के हों, चाहे कॉस्मैटिक्स के हों या यहीं दिल्ली में ही कनाट प्लेस में चले जाइये, यहां दुकानदारों को आप देखिए और उनकी दुकानों के बाहर जिस तरीके से स्त्रियों को खड़ा करके उनकी प्रतिमाओं को खड़ा करके भद्दा प्रदर्शन किया जा रहा है, इससे सैक्स के प्रति एक अपराध की भावना, विशेष करके हमारे नौजवानों में बढ़ रही है। और अगर यह खराब प्रवृत्ति नहीं रुकी तो धीरे-धीरे इस प्रकार के अपराध बढ़ते जाएंगे। आपने अपने विधेयक में इस बात की चर्चा की है कि उन प्रकाशित जो चीज़ें है समाचार-पत्र, पत्रिका या नियतकालिक पत्रिका उनके प्रकाशन ने इन मुद्दों की ओर आपका ध्यान आकर्षित किया है। लेकिन बहुत से माननीय सदस्यों ने हमारे दूरदर्शन में जो दिखाया जाता है उस की ओर या ब्लू फिल्म्स में किस प्रकार से ले कर के हमारे नौजवान लोग विकृत भावनाओं की ओर बढ़ते हैं और साथ-साथ थियेटर इन से भी हमारी चारित्रिक गिरावट हो रही है और आये दिन मैं समझ रहा हूं कि न केवल दिल्ली में बल्कि प्रदेश के और देश के हर हिस्से में जिस तरीके से सैक्स से संबंधित बलात्कार हो रहे है या भागने की घटनाएं या किडनेपिंग की घटनाएं हो रही है, उस को तुरन्त रोकने का काम इस सरकार को करना चाहिए। यहां पर चोली के गाने का जिक्र किया और एक गाना अक्सर सुनता हूं, "तू चीज़ बड़ी है मस्त-मस्त।" मैं इस ओर ध्यान आकर्षित कर रहा हूं कि आपने प्रकाशित चीज़ों की ओर ध्यान तो आकर्षित किया ही है अपने संशोधन विधेयक के जरिए लेकिन जिन चीजों को हम देखते हैं दूरदर्शन के जरिए, ब्लू फिल्म्स् के जरिए या सुनते है अपने कान से, उस से भी हमारे चरित्र की विकृति होती है, तो इस ओर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यह जो सैक्स की भावना है, यह जो काम की भावना है, यह इस तरीके से उभरती है और इसी प्रकार से मेरी समझ से आज समाज में और राष्ट्र में और बड़े-बड़े शहरों में विशेषकर के विभिन्न प्रकार के अपराध हो रहे है और यह भी सही है कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है इस भारतीय संस्कृति में मैंने वीणा जी के विधेयक पर बोलते हुए इस बात की चर्चा की थी, कि हमारी जो बहनें है, हमारे देश में जो महिलाएं है, हर जो अच्छी चीज़ है उसकी प्रति मूर्ति है। शिक्षा, महिलाओं को कहा जाता है विद्या, सरस्वती, वीणा, धन। बहुत ज्यादा धन का होना मैं खराब चीज़ मानता हूं। उस में कहा जाता है कि धन की लक्ष्मी, काली, दुर्गा।

मुझे याद है कि सन् 1971 में जब बंगला देश के साथ हमारा संघर्ष हुआ और श्रीमती इन्दिरा गांधी इस

देश की प्रधानमंत्री श्री, संघ प्रिय गौतम जी के जो नेता ही है तब भी थे और आज भी विपक्ष के नेता है श्री अटल बिहारी वाजपेयी, उनका धर्मयुग में एक लेख पढ़ा था जिस में उन्होंने इन्दिरा जी का मुकाबला दुर्गा से किया था। इसलिए किया था कि दुर्गा एक बहादुरी की प्रतीक है। इसलिए जहां पर इस तरीके से हम लोग महिलाओं की पूजा करते है, उनका आदर करते है, उनको सम्मान देते हैं, तो हमारे ही भारत के देश में भारतीय संस्कृति को विकृत कर के इस प्रकार स उनका चित्रण किया जाये, श्रवण किया जाये, दिखाया जाये, यह बुहत ही अनुचित है और इस संबंध में बहुत बात बढ़ाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं जरूर एक निश्चित राय का हूं कि यहां पर मानव संसाधन मंत्री जी बैठे हुए हैं, उन्होंने सब के विचारों को सुना है और आपके संशोधन विधेयक की भावनाओं का आदर करते हुए ही नहीं, बल्कि सब सदस्यों ने जो राय दी है, खुद भी वे उनसे सहमत होंगे, मैं समझता हूं इस मे ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिस से असहमत होने का सवाल हो, तो कम से कम उत्तर दे तो ऐसा आश्वासन दें कि भविष्य में यहां जो विधेयक आप लायीं है इस में कहीं अगर सुधार की गुंजाइश हो, तो सुधार कर के सरकार की ओर से ये जो दी इंडीसेन्ट रिप्रेजेन्टेशन आफ वीमेन (प्रोहिबिसन) अमेंडमैंट बिल, स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) संशोधन विधेयक अधिनियम, 1986 का इस में आप संशोधन लाने की कृपा करें कम से कम यह आश्वासन आप दीजिए। यह एक राष्ट्रीय अभिशाप है, जो समाप्त होना चाहिए।

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे): धन्यवाद लावीय जी, श्री जलालुदीन अंसारी।

श्री जलालुद्दीन अंसारी (बिहार): उपसभाध्यक्ष महोदया, सबसे पहले मैं कु० सरोज खापर्डे जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने इस समस्या को संशोधित बिल के रूप में सदन के सामने उठाया और खुशी की बात है कि हमारे मानव संसाधन मंत्रीजी भी यहां मौजूद है।

महोदया, अभी हमारे मित्र श्री वायालार रवि जी ने भाषण देते हुए सही कहा कि हमारे यूनिवर्सिटीज और कालेजों में जब छात्र-छात्राएं प्रवेश लेते हैं और वहां जाते हैं उन के साथ रैगिंग होती है। महोदया, यह तो पश्चिमी देशों में होती थी जोकि अब नकल के रूप में हमारे देश के कालेजों व विश्वविद्यालयों में छात्र-छात्रों के साथ होती है। मान्यवर, मैं समझता हूं कि इस पर रोक लगायी जानी चाहिए क्योंकि यह बहुत ही गंदे और भद्दे तरीके से की जाती है। मेरा सुझाव है कि माननीय मंत्रजीजी इस पर विचार करेंगे। साथ ही हम चाहेंगे कि इस बिल के पर्व्यू में सिनेमा और दूरदर्शन को भी लिया जाय।

मान्यवर, अभी हमारे साथियों ने कहा कि हमारे देश की महान परंपरा रही है, लेकिन हमारी महिलाएं जिन्हें हम आदरसूचक शब्दों के जरिए—जननी, माता, देवी, काली और दुर्गा कहकर पुकारते हैं, उन के साथ हमारा आज व्यवहार क्या हो रहा है? आज उन्हें "कमोडिटी गुड्स" की तरह आमदनी के लिए उपयोग किया जा रहा है, पैसा कमाने के लिए उपयोग किया जा रहा है। आप अखबारों में विज्ञापन देखें—खूबसूरत लड़की के ग्लैमर लिए फोटो छपते हैं। उसी तरह हमारे दूरदर्शन का जो प्रचार करने का तरीका है, उस में भी आप देखेंगे कि किसी लड़की को ग्लैमर लिए नग्न और अश्लील चित्र के साथ किसी विज्ञापन में दिखलाया जाता है। तो क्या हम और आप इस को नहीं देखते हैं? कभी-कभी फुर्सत मिलने पर तो देखते ही हैं। तो आप दूरदर्शन को इस सीमा के अंदर क्यों नहीं लाना चाहते है? मान्यवर, सिनेमा का तो कहा ही क्या है? सिनेमा में आज बलात्कार, हत्या आदि चीजें दिखलायी जाती है और किन के साथ? जो हमारी मां है, बहन है, बेटी है, उन्हीं के साथ यह दिखाया जाता है और हम देखते है। मैं पूछता हूं कि हम यह कौनसी नई सभ्यता को जन्म दे रहे हैं और इस पर कहीं रोक लगाएगी या हम लोग इस के लिए कुछ अभियान चलाएंगे कि नहीं? आज जरूरत इस बात की है कि व्यावहारिक जीवन में इस के लिए सब के प्रयास होने चाहिए। जो सरकार चलाते हैं और जो सामाजिक संगठन है—सभी का यह फर्ज बनता है। यह कार्य कानून से और चेतना जगाकर किया जा सकता है। उन्हें यह बताना होगा कि यह चीजें गलत है और इन से दूर रहने के लिए समझाया जा सकता है।

मान्यवर, सबसे बड़ी बात है कि हम ने कल टी०वी० पर एक कार्यक्रम देखा जिस में लड़कियों को इकट्ठा कर के प्रश्न पूछा जा रहा था कि सौंदर्य प्रतियोगिता में महिलाएं भाग क्यों लेती है? कुछ लड़कियों ने कहा कि टी० वी० पर फोटो आती है और नाम होता है। एक प्रश्न और पूछा गया कि हमारे देश में ऐश्वर्य राय और जो विश्व सुंदरी हुई है, उन को जो मकान, पैसा और सब चीजें मिली है, अगर उन को ले लिया जाय तब भी तुम लोग सौंदर्य प्रदर्शन में भाग लेना चाहोगी? तो एक-दो ने कहा कि नहीं। महोदया, इससे यह निष्कर्ष निकलाता है कि इस सौंदर्य प्रदर्शन में नाम और पैसा मूल बात है।

अगर पैसा मिलना बंद हो जाए तो शायद यह सौन्दर्य प्रदर्शन के लिए भी जो हमारी लड़कियां हैं, बेटियां हैं, वह तैयार नहीं होंगी। हम समझते हैं कि कई मिनट तक वार्ता टी०वी० में कल ही इसको दिखाया गया था। संयोग से मैं बैठा हुआ था देखने। फिर कुछ लड़कों से पूछा गया। एक लड़के ने कहा कि अगर हमारी बहन जाना चाहे तो हम नहीं रोक सकते। फिर उसने पूछा कि तुम क्या समझते हो? तो कहा कि हम क्या समझें। हमारी बहन अगर जाना चाहे तो मैं मना नहीं करूंगा। एक दूसरे लड़के से पूछा। तो उसने कहा कि मेरी तो बहन है ही नहीं। तो इस तरह का प्रोग्राम हमारा टी०वी० अर्गेनाइज करता है। आखिर, वह किस चीज को प्रेरित कर रहा है। यह कल मैंने देखा है, आप में से भी अगर कुछ फुरसत की घड़ी में होंगे तो देखा होगा।

श्री संघ प्रिय गौतम: मैं तो देखते ही नहीं। बीमारी है।

श्री जलालुदीन अंसारी: देखा कीजिए कभी कभी। इसलिए मेरा सुझाव है कि इस बिल के परिव्यू में इसको लाना चाहिए। वैसे ऐसे बिल का जो हस्र होता है, प्राइवेट मेम्बर बिल का, वह हम लोगों को मालूम है। हमारे मंत्री जी बैठे हुए हैं। यह एक भारी समस्या है भारतीय समाज की। आज भारतीय समाज पर पश्चिमी सभ्यता का आक्रमण हो रहा है, अन्य क्षेत्रों में भी हो रहा है, लेकिन जानबूझकर के भारतीय सभ्यता और संस्कृति को समाप्त करने की पश्चिमी देशों की एक साजिश है और उसके लिए अचूक धन भी खर्च कर रहे हैं विभिन्न मीडिया के जरिए, पत्र-पत्रिकाओं के जरिए, साहित्य के जरिए और अन्य मीडिया के जरिए। हमारी सरकार और हमारे देश के लोग इस बात को महसूस नहीं करते हैं। अगर नहीं करते हैं तो उनको करना चाहिए।

सर, यह लगातार हमारी सभ्यता और संस्कृति पर चोतरफा हमला है और इससे बचाने के लिए जरूरी है कि हमारे यहां जो विकृतियां पैदा हो रही हैं पैसे के लिए, नाम के लिए और इसका शिकार बच्चियां बनाई जा रही हैं, आने वाली पीढ़ी को बनाया जा रहा है। इससे इनको बचाना हमारा और आपका फर्ज बनाता है या नहीं बनता? सवाल किसी दल का नहीं है। जब हमला होता है किसी देश की सभ्यता और संस्कृति पर, तो उसे बनाना उस देश के लोगों का फर्ज होता है। जबकि हमारी सभ्यता एक गौरवमयी सभ्यता है और हम इसका बहुत गुणगान करते हैं। लेकिन, हो क्या रहा है? वह पुरानी गाथा कहने से काम नहीं चलेगा। अभी क्या हो रहा है, उसको हमें देखना पड़ेगा। हम अपनी पुरानी बातों को तो देखकर गौरवान्वित होंगे, लेकिन अभी जो स्थिति है उसको सुधारने के लिए हमको प्रयास करना होगा। आज मूल विषय यह है।

सर, 1986 में एक संशोधित बिल लाया गया था और आज फिर जरूरत पड़ी है 1995 में, कि एक कैंपरेहेन्सिव संशोधित बिल इस मामले में लाया जाए। आज गंदी-गंदी छोटी-छोटी पुस्तकें स्टिच करके बुकस्टाल पर बेची जाती हैं और उसमें सारी चीजें गंदी रहती हैं। देखिए, उसको कौन पढ़ता है? कम उम्र के बच्चे, बच्चियां जाते हैं बुक स्टाल पर और स्टिच की हुई छोटी सी बुकलेट लेकर चले जाते हैं। उसमें सिवाय गंदगी के कुछ नहीं होता है।

कानून बने हैं। वायालार रवि जी कह रहे थे कि राज्य सरकार को करना चाहिए। इस सवाल को हमने स्टेडिंग कमेटी संचार में भी उठाया था, लेकिन उसका जवाब क्या देती है मिनिस्टरी, लोग जवाब देते हैं कि ला एण्ड आर्डर में हमारे डी०एम० और पुलिस रह जाती है, इसलिए यह अश्लील पोस्टर, अश्लील सिनेमा को देख नहीं पाते हैं। आप बताइए, किस राज्य की ला एंड आर्डर, कानून और व्यवस्था बड़ी अच्छी है। वही कलेक्टर, वहीं एस०पी०, वही थानेदार और वही उस जिले में खुलेआम थाने दार, एस०एच०ओ०...व्यवधान... आपने अलग-अलग क्या नाम रखे हुए हैं, हमारे यहां इंसपेक्टर हैं बिहार में। यह जो आपने रखे हुए हैं एस०एच०ओ०, यहां खुले आम झुग्गी झोपड़ियों में शराब बिकवाते हैं। अभी कल्याणपुरी थाने में धरना था सी०पी०आई० की तरफ से, उसमें लोग हमको भी ले गए थे। आपकी परिकल्पना क्या है, जो बड़े अपार्टमेंट में रहते हैं.....

5.00 P.M.

श्री संघ प्रिय गौतम: उपसभाध्यक्ष महोदया, शायद अंसारी जी का भाषण समाप्त नहीं होगा और इस विधेयक पर और भी लोग बोलने वाले हैं, इसलिए मेरा अनुरोध है कि इस समय चूंकि 5:00 बज रहे हैं, आप हाउस को स्थगित कर दीजिए और अंसारी जी का भाषण अगले शुक्रवार को जारी रहे तथा और भी जो बहुत से बोलने वाले लोग हैं, वे अगली बार इस विधेयक पर अपने विचार रख सकते हैं।

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे): अंसारी जी, सदन की घड़ी के मुताबिक 5:00 बज चुके हैं, मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि इस विषय पर अपनी चर्चा

अगले शुक्रवार को जारी रखें। The House is adjourned till 11 a.m. on Monday, the 4th December, 1995.

The House then adjourned at one minute past five of the clock till eleven of the clock on Monday, the 4th December, 1995.